न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 110/2021 बउनवानी हरीश भारद्वाज बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधिकारी,सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा, मानव सेवा आश्रम के पास शहर स0मा0

GCMS No-2021/309

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

23.12.2021

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.5.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको अति0 जिला कलेक्टर के पत्रांक 976 दिनांक 11.6.2021 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जिला रसद अधिकारी को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. किसी भी व्यक्ति व परिवार को राशन कार्ड जारी करने की नियमावली की सत्यप्रतिलिपि।
2. संलग्नक परिवार राशन कार्ड संख्या 575/21 दिनांक 18.3.2000 की फाईल के प्रत्येक पृष्ठ की सत्यप्रतिलि देवे।
3. सोमबाई पुत्री सतपाल जी महाराज के पहचान पत्र के दस्तावेज की सत्यप्रतिलि देवे।
4. सोमबाई पुत्री सतपाल कितने समय से सवाईमाधोपुर मे निवासी है निवास प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलि देवे।
5. संलग्नक राशन कार्ड संख्या 575/21 मे देवपाल मीना का नाम जोडा गया है पहचान पत्र की सत्यप्रतिलिपि देवे।
6. एक व्यक्ति कितने राशन कार्ड जारी करवा सकता है सत्यप्रतिलि देवे।
7. संलग्नक राशन कार्ड संख्या 575/21 मे दर्ज यूनिट संख्या 3 अविजितबाई, 4 कमला बाई, 5 अन्जिनी बाई, 6 जगराम, 7 कानजी लाछन मीना के पहचान पत्र की सत्यप्रतिलिलि देवे।
8. संलग्नक राशन कार्ड संख्या 575/21 मे जिसके आदेश से नाम जोडे गऐ है आदेश की सत्यप्रतिलिलि देवे।
9. संलग्नक राशन कार्ड संख्या 575/21 के द्वारा पिछले 20 वर्षो से उठाये गये राशन की सत्यप्रतिलिलि देवे।
10. एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक राशन कार्ड मे नाम होने पर विभाग के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि देवें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी स0मा0 की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःरसद/578 दिनांक 3.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 30.5..2021 के बिन्दु संख्या 1,6,10 पर चाही सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 300 दिनांक 6.7.2021 से उपलब्ध करवाते हुए शेष बिन्दुओं की सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.5.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,6,10 की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओं की सूचना रसद कार्यालय से संबंधित नही होने अथवा अस्तित्व मे नही होने से दिया जाना संभव नही होने के कारण अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 300 दिनांक 6.7.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है तथा कार्यालय मे उपलब्ध सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:02:51 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर